

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 93/2020-21


बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23.3.13	<p>झारखंड सरकार के झापांक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० निती-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जल के डम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<u>श्रीलाकुसुमा</u> मौजा न०-<u>12</u> खाता न० <u>142</u></p> <p>प्लॉट न० <u>1310</u> रकबा <u>25 बीघे 6-25</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>20</u> के पृष्ठ संख्या <u>3768</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्री बालाजी</u> से प्राप्त लि० <u>श्री प्रमोद</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सधम प्राधिकार क आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ तादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>21/4/19</u> को रख।</p>	<p>श्री प्रमोद</p> <p>अचल अधिकारी</p> <p>धनबाद।</p>


अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अर्थात् है।
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

3/4/19


अंचल अधिकारी
धनबाद।

20/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 21/5/19 को रखे।


अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
20/6/20 को रखें।



15.6.20
अंचल अधिकारी
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
कोलाकुसठा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट
नं० 1310, रकबा 25 बीघे 6.25 बीघे भूमि से संबंधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रजत
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस नं०(.....) के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4184

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- *जी बालाजी डेनौलीप से प्राठ सिं कम्पनी
बिदे, बक - जी प्रमोद कुं अकाल
पिठा - जगदिबा पुठ अकाल
साठ, अमलापाडा मद्रिया*

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

श्रेणी	खाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<i>बौलाकु (ग)</i>	<i>12</i>	<i>142</i>	<i>1310</i>	<i>25 डी १/४</i> <i>6.25 डी १/४</i>

3. जमाबंदी पंजी - II को गिल्द संख्या *20* पृष्ठ सं० *3768* पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - *६४-०१*

5. खतियान को अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- *गैर आबाद*

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- *लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं०*.....
17.26 (11) ६४-०१ र.अ.म.थ.का.न०- 1678, 1679, 1680

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- *जिप्रल कुमर देव*

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्वाहित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती -
पूर्व म/क न० - 816, 815, 814 (1) 94-95 र.अ.म.थ.का.न०-170

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जीध किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा
दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<i>1</i>	<i>368914</i>	<i>17.9.०४</i>	<i>६४-०१</i>